

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सीलिंग), पाली  
पीठासीन अधिकारी:- श्री राधेश्याम (आर.ए.एस.)

म्यूटेशन अपील संख्या:- 7/2021

दायरा दिनांक :- 09-07-2021

अपीलाण्ट:- बनाम रेस्पोंडेंट्स:-  
1. श्रीमती सुखीया देवी बेवा श्री हीरसिंह 1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार  
जाति पुरोहित <sup>मांगी</sup> <sup>11/11/2021</sup> रानी जिला पाली।  
2. श्रीमती गंगा बेवा श्री <sup>8.9.2021</sup> नारायणसिंह,  
जाति पुरोहित निवासीगण विंगरला  
तहसील रानी, जिला पाली राजस्थान **अति जिला कलेक्टर (सीलिंग)**  
उपस्थिति:- **पल्ली (राज)**


1. श्री हिम्मतसिंह रापुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री सुरेन्द्र सिंह लाबाना, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोंडेंट्स ।

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध तहसीलदार, देसूरी के आदेश दिनांक 20.07.2012 के ग्राम विंगरला के म्यूटेशन संख्या 280 को स्वीकृत किया, उस आदेश को निरस्त फरमावें।

:-निर्णय:-

दिनांक 6/8/21

1. अपीलाण्ट्स ने यह अपील रेस्पोंडेंट्स के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम विंगरला तत्कालीन तहसील देसूरी के खसरा नंबर 682 रकबा 0.4 हैक्टेयर गैर मुमकीन बैरा तथा खसरा नंबर 683 रकबा 2.95 हैक्टेयर किस्म जाव एवं चाही प्रथम कुल खसरा 2 रकबा 2.99 हैक्टेयर भूमि मुझ अपीलाण्ट व अन्य सह खातेदारों के खातेदारी कब्जासुदा भूमि रही है, जिस भूमि से श्री खेतेश्वर राजपुरोहित विकास संस्था को इसमें से इमने बक्शीश की है, जिसका खसरा नंबर 683 रकबा 1.23 हैक्टेयर राजस्व रेकॉर्ड में मौजूदा है। इसी खसरे में स्कूल भवन बना हुआ होने से अपीलाण्ट व सह खातेदारों ने गांव वालों के कहने से स्कूल भवन एवं स्कूल मैदान के लिए जमीन हमने समर्पित की, जितने रकबे पर स्कूल भवन बना हुआ है व स्कूल के मैदान के लिए जितनी जमीन चाहिये थी, उस हद तक ही हमने समर्पणनामा लिखा था, पूरे खसरे को हमने इस उपयोग के अलावा सरकारी खाते में देने के लिए नहीं दिया था। स्कूल भवन व स्कूल मैदान का रकबा 1.6000 हैक्टेयर मौजूदा है जिसके खसरा नंबर 683/850 रकबा 1.6000 हैक्टेयर पर स्कूल मैदान मौजूदा है व राजस्व रेकॉर्ड में भी इनका नाम दर्ज है। खसरा नंबर 683/854 रकबा 0.64 हैक्टेयर भूमि पर आज भी हमारा हब्जा है और इसका उपयोग व उपभोग हम अपीलाण्ट ही कर रहे हैं, जब से यह भूमि हमारे नाम थी, तब से काबिज है व हम अपीलाण्ट अनपढ़ व अशिक्षित हैं। ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, जिनको यह जानकारी नहीं थी कि स्कूल भवन व स्कूल मैदान के लिए कितनी भूमि चाहिये, इसलिये हल्का पटवारी व तहसीलदार ने पूरी जमीन को हमसे समर्पणनामा लिखवाकर म्यूटेशन भर दिया। जबकि स्कूल भवन व मैदान के लिए पूरी जमीन काम में न तो ली गई, न ही उम्मीद नाम दर्ज हुई है। बल्कि 0.64 हैक्टेयर खसरा नंबर 683/854 की भूमि राजकीय खाते में दर्ज कर दी है, जिसे भूमिधारी को ऐसा करने व रखने का अधिकार नहीं है। अपीलाण्ट मौके पर खसरा नंबर 683/854 रकबा 0.64 हैक्टेयर भूमि पर वक्त खतेदारी से आज भी काबिज है व समर्पण लिखते वक्त भी काबिज थे व मौजूदा स्थिति में भी इस भूमि का उपयोग व उपभोग भी अपीलाण्ट ही कर रहे हैं, इसलिये सिवाय चक खाते में से नाम हटाकर अपीलाण्ट के नाम खाता दर्ज करने के लिए भूमिधारी तहसीलदार को आदेश प्रदान करावे। भूमिधारी तहसीलदार का आदेश समर्पणनामा संबंधी तारीख दिनांक 13.08.2012 क्रमांक/राजस्व/12/1428 में अपीलाण्ट द्वारा दिये गये



<sup>11/11/2021</sup>  
अति जिला कलेक्टर (सीलिंग)  
पाली (राज)


समर्पणनामा की भूमि को राज्य सरकार में लेने का अर्थात् अपीलान्ट की इस भूमि को समर्पित भी नहीं की है, ऐसा आदेश में कहीं उल्लेख नहीं है। फिर भी आदेश प्रतिकूल ग्राम विंगरला के म्यूटेशन संख्या 280 स्वीकृत किया है जो निरस्त योग्य है। अपीलान्ट आदेश के बारे में सर्वप्रथम जानकारी अपीलान्ट को तब हुई, जब इस भूमि से अपीलान्ट को कब्जा हटाने के लिए पटवारी हल्का वरकाणा ने तारीख 23.06.2021 को यह कहा कि हमारे हड़ताल समाप्त होते ही इस जमीन से कब्जा हटाना पड़ेगा, क्योंकि यह भूमि सिवाय चक है। तब अपीलान्ट ने दूसरे दिन ही अधिवक्ता नियुक्त करके इस संबंध में नकले मांगी, जो नकले अपीलान्ट को दिनांक 25.06.2021 को प्राप्त हुई। जिस जानकारी से अपीलान्ट की अपीलान्ड अन्दर म्याद पेश है। वैसे अपीलान्ट अनपढ़ ग्रामीण परिवेश की महिलाएँ हैं, जिनको कानूनी बातों का ज्ञान नहीं है, फिर भी हल्का पटवारी के कहने पर तुरन्त प्रभाव से यह कार्यवाही की है जो जानकारी से अपीलान्ट की अपीलान्ड अन्दर म्याद शुमार फरमाई जावें। अतः ग्राम विंगरला के म्यूटेशन संख्या 280 को निरस्त फरमावे तथा अधिनस्थ तहसीलदार को आदेश फरमावे कि वो अपीलान्ट के कब्जे के आधार पर पुनः अपीलान्ट के नाम खसरा नंबर 683/854 रकबा 0.64 हैक्टेयर भूमि को अपीलान्ट के नाम नियमानुसार आदेश दिनांक 13.08.2012 क्रमांक राजस्व/2012/1428 के प्रतिकूल स्वीकृत किया है, उसे निरस्त फरमावे तथा अपीलान्ट के कब्जे की भूमि खसरा नंबर 683/854 तथा 0.64 हैक्टेयर भूमि को अपीलान्ट के नाम दर्ज करने का आदेश प्रदान करावें।

2. अपील Subject to limitaion दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया।

3. बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

4. बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने निवेदन किया कि ग्राम विंगरला तत्कालीन तहसील देसुरी के खसरा नंबर 682 रकबा 0.4 हैक्टेयर गैर मुमकीन बैरा तथा खसरा नंबर 683 रकबा 2.95 हैक्टेयर किस्म जाव एवं चाही प्रथम कुल खसरा 2 रकबा 2.99 हैक्टेयर भूमि अपीलान्ट व अन्य सह खातेदारों के खातेदारी कब्जासुदा भूमि रही है, जिस भूमि से श्री खतेश्वर राजपुरोहित विकास संस्था को इसमें से इमने बक्शीश की है, जिसका खसरा नंबर 683 रकबा 1.23 हैक्टेयर राजस्व रेकॉर्ड में मौजूदा है। इसी खसरे में स्कूल भवन बना हुआ होने से अपीलान्ट व सह खातेदारों ने गांव वालों के कहने से स्कूल भवन एवं स्कूल मैदान के लिए जमीन हमने समर्पित की, जितने रकबे पर स्कूल भवन बना हुआ है व स्कूल के मैदान के लिए जितनी जमीन चाहिये थी, उस हद तक ही हमने समर्पणनामा लिखा था, पूरे खसरे को हमने इस उपयोग के अलावा सरकारी खाते में देने के लिए नहीं दिया था। स्कूल भवन व स्कूल मैदान का रकबा 1.6000 हैक्टेयर मौजूदा है जिसके खसरा नंबर 683/850 रकबा 1.6000 हैक्टेयर पर स्कूल मैदान मौजूद है व राजस्व रेकॉर्ड में भी इनका नाम दर्ज है। खसरा नंबर 683/854 रकबा 0.64 हैक्टेयर भूमि पर आज भी हमारा कब्जा है और इसका उपयोग व उपभोग हम अपीलान्ट ही कर रहे हैं, जब से यह भूमि हमारे नाम थी, तब से काबिज है।

द्वितीय तर्क दिया कि अपीलान्ट ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, जिनको यह जानकारी नहीं थी कि स्कूल भवन व स्कूल मैदान के लिए कितनी भूमि चाहिये, इसलिये हल्का पटवारी व तहसीलदार ने पूरी जमीन को हमसे समर्पणनामा लिखवाकर म्यूटेशन भर दिया। जबकि स्कूल भवन व मैदान के लिए पूरी जमीन काम में न तो ली गई, न ही उनके नाम दर्ज हुई है। बल्कि 0.64 हैक्टेयर खसरा नंबर 683/854 की भूमि राजकीय खाते में दर्ज कर दी है, जिसे भूमिधारी को ऐसा करवाने व रखने का अधिकार नहीं है। अपीलान्ट मौके पर खसरा नंबर 683/854 रकबा 0.64 हैक्टेयर भूमि पर वक्त खातेदारी से आज भी काबिज है व समर्पण लिखते वक्त भी काबिज थे व मौजूदा स्थिति में भी इस भूमि का उपयोग व उपभोग भी अपीलान्ट ही कर रहे हैं, इसलिये सिवाय चक खाते में से नाम हटाकर अपीलान्ट के नाम खाता दर्ज करने के लिए भूमिधारी तहसीलदार को आदेश प्रदान करावे। भूमिधारी तहसीलदार का आदेश समर्पणनामा संबंधी तारीख दिनांक 13.08.2012 क्रमांक/राजस्व/12/1428 में अपीलान्ट द्वारा दिये गये समर्पणनामा की भूमि को राज्य सरकार में लेने का अर्थात् अपीलान्ट की इस भूमि को समर्पित भी नहीं की है, ऐसा आदेश में कहीं उल्लेख




अति जिखा कमिस्टर (सीलिंग)  
पंजाब (राज्य)

ही है। फिर भी आदेश प्रतिकूल ग्राम विंगरला के म्यूटेशन संख्या 280 स्वीकृत किया है जो निरस्त योग्य है।

तृतीय तर्क दिया कि अपीलाधीन आदेश के बारे में सर्वप्रथम जानकारी अपीलाण्ट को तब हुई, जब इस भूमि से अपीलाण्ट को कब्जा हटाने के लिए पटवारी हल्का वरकाणा ने तारीख 23.06.2021 को यह कहा कि हमारे हड़ताल समाप्त होते ही इस जमीन से कब्जा हटाना पड़ेगा, क्योंकि यह भूमि सिवाय चक है। तब अपीलाण्ट ने दूसरे दिन ही अधिविक्ता नियुक्त करके इस संबंध में नकले मांगी, जो नकले अपीलाण्ट को दिनांक 25.06.2021 को प्राप्त हुई। जिस जानकारी से अपीलाण्ट की अपील अन्दर म्याद पेश है। वैसे अपीलाण्ट अनपढ़ ग्रामीण परिवेश की महिलाएँ हैं, जिनको कानूनी बातों का ज्ञान नहीं है, फिर भी हल्का पटवारी के कहने पर तुरन्त प्रभाव से यह कार्यवाही की है जो जानकारी से अपीलाण्ट की अपील अन्दर म्याद शुमार फरमाई जावें। अतः ग्राम विंगरला के म्यूटेशन संख्या 280 को निरस्त फरमावे तथा अधिनस्थ तहसीलदार रानी को आदेश फरमावे कि वो अपीलाण्ट के कब्जे के आधार पर पुनः अपीलाण्ट के नाम खसरा नंबर 683/854 रकबा 0.64 हैक्टेयर भूमि को अपीलाण्ट के नाम नियमानुसार आदेश दिनांक 13.08.2012 क्रमांक राजस्व/2012/ 1428 के प्रतिकूल स्वीकृत किया है, उसे निरस्त फरमावे तथा अपीलाण्ट के कब्जे की भूमि खसरा नंबर 683/854 तथा 0.64 हैक्टेयर भूमि को अपीलाण्ट के नाम दर्ज करने का आदेश प्रदान करावें।

5. सरकारी वकील ने बहस के दौरान निवेदन किया कि ग्राम विंगरला पटवार वरकाणा तत्कालीन तहसील देसूरी के म्यूटेशन संख्या 280 दिनांक 20.07.2012 को तहसीलदार देसूरी द्वारा स्वीकृत किया गया है वो नियमानुसार किया गया है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत समर्पणनामा के आधार पर म्यूटेशन भरा व स्वीकृत किया गया है। अतः अपील खारिज फरमाई जावें।

6. बहस पर मनन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध करवाये गये अभिलेख का ध्यान-पूर्वक अवलोकन किया गया। म्यूटेशन संख्या 280 को समर्पणनामा के आधार पर स्वीकृत करना प्रकट है, लेकिन समर्पणनामा स्कूल भवन व स्कूल मैदान के लिए लिखा था, जो भूमि स्कूल भवन व स्कूल मैदान के लिए खसरा नंबर 683/50 रकबा 1.6000 हैक्टेयर भूमि पर स्कूल भवन व स्कूल मैदान के लिए दर्ज की गई है। शेष रकबा 0.64 हैक्टेयर जिसके खसरा नंबर 863/854 है उसका सिवायवक किया है जो समर्पणनामा की मंशा के विपरीत है व अपीलाण्ट ने राज के हित में समर्पणनामा नहीं लिखा, लेकिन पूरी जमीन को स्कूल मैदान के अलावा सिवायचक दर्ज की है। समर्पणनामा तारीख 13.08.2012 क्रमांक/राजस्व/12/1428 में अपीलाण्ट के रकबे को राजस्व सरकार में लेने का कोई अधिकार नहीं है व न ही खसरा नंबर 683/854 रकबा 0.64 हैक्टेयर भूमि को समर्पणनामा आदेश में उल्लेखित है। अपील स्वीकार को स्वीकार करना न्यायसंगत प्रतीत होता



अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना-पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाकर मोजा ग्राम विंगरला तत्कालीन तहसील देसूरी वर्तमान तहसील रानी के दिनांक 20.07.2012 के नामान्तरकरण संख्या 280 द्वारा पारित म्यूटेशन को यथावत् रखा जाना कर्त्तई न्यायोचित प्रतीत नहीं होने से उक्त आदेश को अपास्त किया जाकर वर्तमान तहसील-रानी के तहसीलदार, रानी को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उक्त प्रकरण की पूर्ण जांच कर अपीलाण्ट के कब्जे की भूमि खसरा नंबर 683/854 रकबा 0.64 हैक्टेयर भूमि पर अपीलाण्ट के कब्जे को ध्यान में रखते हुए तथा समर्पणनामा को मध्यनजर रखते हुए उक्त भूमि का विधि अनुसार अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दे करके पुनः नामान्तरकरण की नियमानुसार कार्यवाही की जावें। इस निर्णय की प्रति तहसीलदार, रानी को तहरीर

अति शिक्षा कलेक्टर (सीलिंग)  
राजकोट (राज)

साथ माफिक आदेश पालना करने हेतु प्रेषित किया जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

*div*  
अति जिशा कम्पटर (स्त्रीलिंग)  
पाली (राज)

यह आदेश आज दिनांक 6/8/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

*div*  
अति जिशा कम्पटर (स्त्रीलिंग)  
पाली (राज)

